बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-13/2019- 208 /वि०स०। दिनांक 4/2/20

प्रिय ....

षोडश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 22 नवम्बर, 2019 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को स्थगित हुआ । पुन: दिनांक 03.01.2020 को माननीय सदन नेता के अनुरोध पर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-17 के परन्तुक के तहत् माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा चतुर्दश सत्र का एक उपवेशन दिनांक 13 जनवरी, 2020 को निर्धारित किया गया । दिनांक 13 जनवरी, 2020 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । चतुर्दश सत्र में कुल छ: (6) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि लोकतंत्र विमर्श, आपसी समझदारी और समझौतों पर भरोसा करता है । लोकतंत्र में चर्चा केवल इसलिए नहीं होती कि दृष्टिकोण अथवा हितों में मतभेद होता है, बल्कि इसलिए भी कि मतभेदों की अभिव्यक्ति और उन्हें सुना जाना लोकतंत्र की विशेषता है । इस तरह लोकतंत्र विविधता, बहुलवाद और नागरिकों के बीच समानता को आधारभूत मानकर चलता है और जब कभी ऐसी विविधता प्रकट होती है तब इसे सुलझाने हेतु विमर्श की लोकतंत्रीय परम्परा का उपयोग होता है । इसलिए इस सदन में विचार-विमर्श पर सबसे अधिक तवज्जो दिया जाना ही अभीष्ट प्राप्ति को सार्थक सिद्धि दे सकता है ।

पिछले सत्र के दौरान आप सबों के सहयोग से ही सत्र अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित चला जिसके कारण जनहित के अधिकाधिक मुद्दों पर विमर्श एवं उनका निदान का मार्ग प्रशस्त हो पाया । आप भी अवगत हैं कि इसकी सराहना भी हुई ।

इस परिप्रेक्ष्य में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में भी आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत एक (01) विधेयक एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित छ: (06) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक

(1) दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019
(3) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2019
(4) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019
(5) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) विधेयक, 2019
(6) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019
(7) बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019

वित्तीय कार्य

दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो'' ।
3. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (A)(2) के तहत् बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।
4. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) के तहत् ''बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।
5. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 के कंडिका-10 के तहत् ''बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2019'' की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक, 2019
2. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019
3. बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019
4. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019

याचिका

इस सत्र में कुल 56 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 41 स्वीकृत हुए तथा 15 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 109 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 107 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 670 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 526 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 16 अल्पसूचित, 446 तारांकित एवं 64 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों

की सूचनाओं में से 02 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए, 94 प्रश्नों के उत्तर सदन पटल पर रखे गये । उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 63 तथा शेष 367 प्रश्न अनागत हुए । 272 प्रश्नों के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 93 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुये ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 101 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 100 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 01 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 86 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 01 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये तथा 01 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत हुए । इसके अलावा 01 सूचनाएँ विभाग को भेजे गये तथा 11 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

राजकीय संकल्प- [संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 का अनुसमर्थन]

संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा राजकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया कि ''यह सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड-(2) के परन्तुक (घ) के अधीन संसद के दानों सदनों द्वारा यथा पारित ''संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019'' का अनुसमर्थन करती है ।'' सदन द्वारा इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय नैयर आजम, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय रघुपति गोप, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय डॉ० जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री
4. स्वर्गीय जेठमलानी राम बूलचन्द, पूर्व सांसद
5. स्वर्गीय तुलसी दास मेहता, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय कौशलेन्द्र प्रसाद शाही, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय मुनीलाल, पूर्व सांसद
9. स्वर्गीय कमल सिंह, पूर्व सांसद

दिनांक 13 जनवरी, 2020 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

सेवा में,

....

....

....

28/01/2020
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।